न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 73 / 2022

1 महेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 विधाधर पुत्र श्योपाल जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रमेश कुमार पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 दड़की देवी पत्नी किशनलाल जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 जगदीश प्रसाद पुत्र किशनलाल जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 सुखी देवी पत्नी हरिराम जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 नरोतम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 बिरजुराम पुत्र श्योपाल जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 सुरेश कमार पुत्र श्योपाल जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8 तारामणी पुत्री श्योपाल पत्नी मूलचन्द जाति मेघवाल निवासी गांव डूमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
9 लक्ष्मी पुत्री श्योपाल पत्नी रामनिवास जाति मेघवाल निवासी गांव डूमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
10 देवाराम पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 आरती पत्नी किशोर जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12 जीगेश पुत्र किशोर जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13 प्रीति पुत्री किशोर जाति मेघवाल निवासी गांव कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
14 तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बमुकदमा
रमेश कुमार बनाम महेश कुमार वगै. मु.नं. 41/2012

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 270, 271, 272, 273 जिसके नये खसरा नम्बर 246, 247, 248, 1789/249, 1790/248, 1791/250 वाके ग्राम कारी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में प्रकथनों में यह प्लीड किया है कि विवादित भूमि मौके पर विभाजन की हुई है और सभी पक्षकार मौके पर उक्तानुसार काबिज है। कानूनन एक भूमि का विभाजन हो जाता है तो उक्त भूमि का दुबारा विभाजन नहीं किया जा सकता। वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 2 का देहान्त दिनांक 30.08.2018 को देहान्त हो गया है और विचारण न्यायालय ने एक मृतक व्यक्ति के खिलाफ डिक्री जारी कर कानूनन भूल की है। विवादित भूमि की रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई है अगर मौके पर रिपोर्ट तैयार की जाती तो सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर उक्त रिपोर्ट पर होते। लेकिन मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2019 का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि उक्त रिपोर्ट बाला–बाला तैयार की गई है। जिस पर मात्र पटवारी हल्का के हस्ताक्षर तथा वादीगण संख्या 1 व 3 के हस्ताक्षर है इसके अलावा किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया है ना ही पक्षकार ने हस्ताक्षर करने से इन्कार हो गया हो ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। वादीगण अपन गलत तथ्यों के आधार पर विभाजन के दावे में नाम दुरूस्त करवाने की इश्तदुआ की है जबकि नाम संशोधन अ. धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत या फिर घोषणा के दावे में किया जाता सकता है। फिर भी नाम संशोधन करने के लिए अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन गलत रूप से डिक्री करवाकर नामान्तकरण संख्या 2303 दिनांक 27.07.2020 उक्त अवैध आदेश के तहत तस्दीक किया गया है जो अवैध है निरस्तनीय है। अपीलान्ट शेष प्रतिवादीगण दावा विवादित भूमि के खसरा नम्बर 2418/248, खसरा नम्बर 2419/248, 1790/248, 247, 246 की भूमि को 1/2,1/2 भाग को काश्त करते है काबिज है। जिसका तहसीलदार नवलगढ़ ने अपनी मौके की रिपोर्ट बताते समय गौर नहीं किया और उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

गलत रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने डिक्री व आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है विवादित भूमि खसरा नम्बर 246, 247 मौके पर 1/2 भाग वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे में है तथा शेष भूमि 1/2 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 13 के कब्जे व काश्त में दर्ज है और उक्तानुसार ही डिक्री जारी होनी चाहिए थी जिसका सही से अवलोकन नही कर विचारण न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण रिमांड किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अनुसार सभी पक्षकारों को सुने बिना उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 2 का दिनांक 30.08.2018 को देहान्त हो गया था। विचारण न्यायालय ने मृत पक्षकार के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 11 के अधिवक्ता ने वरवक्त बहस प्रकरण रिमांड करने पर सहमति प्रदान की है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकार के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेकर प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)